

JODHPUR VIDHYUT VITRAN NIGAM LIMITED

No.JdVVNL/MD/Secy.(Admn.)/Ju/S.Estt./F. 100. 662 /D. 1290


Dated 26/11/12

ORDER

Pursuant to the decision of 159th Coordination Committee meeting held on 14th Sept., 2012, the Circular No. F.7(1)Karmik/ Ka-II/ 99 dated 12.09.2012 of the Department of Personnel (Ka-II) (copy enclosed) is adopted in the JdVVNL to maintain uniformity in such matters at par with the State Government.


The above order is subject to ratification by the Board of Directors.

By order


Secretary (Admn.)
JdVVNL, Jodhpur.

Copy to the following for information and necessary action:

1. The Chief Engineer (), JdVVNL,
2. The Dy.\Zonal Chief Engineer (), JdVVNL,
3. The Chief Accounts Officer (), JdVVNL,
4. The Company Secretary, JdVVNL, Jodhpur.
5. The Superintending Engineer (), JdVVNL,
6. The T.A. to Managing Director, JdVVNL, Jodhpur\ Jaipur.
7. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JdVVNL, Jodhpur.
8. The Dy. Director Personnel (HQ\ JZ\ BZ), JdVVNL, Jodhpur\ Bikaner.
9. The Sr. Accounts Officer (), JdVVNL,
10. The T.A.\P.A. to Director (Finance\Technical), JdVVNL, Jodhpur.
11. The Executive Engineer (), JdVVNL,
12. The Personnel Officer (), JdVVNL,
13. The Accounts Officer (), JdVVNL,
14. The Assistant Engineer (), JdVVNL,
15. The Public Relations Officer (), JdVVNL,


Secretary (Admn.)
JdVVNL, Jodhpur.

374

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक: प. 7(1)कार्मिक/क-2/99

जयपुर, दिनांक:- 14.9.2012

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित) ।

परिपत्र

विषय:- अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के ऐसे अभ्यर्थियों के साथ जिन्हें उनकी योग्यता के आधार पर सामान्य प्रवर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित किया गया है, व्यवहार के बारे में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11.05.11 के क्रम में मा० राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एकल पीठ रिट याचिका संख्या 15152/2011 मदन लाल बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.4.12 में विधि विभाग से प्राप्त परामर्श उपरान्त निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

यदि किसी अनुभूषित जाति/अनु० जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ने उन प्रवर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध आयु या फीस संबंधी रियायतों में से किसी का भी लाभ उठाया है और वह सामान्य वर्ग के ऐसे अन्तिम अभ्यर्थी से, जो चयनित हुआ है, से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो भी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के ऐसे अभ्यर्थी का चयन यथास्थिति अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति नहीं किया जाकर सामान्य प्रवर्ग की रिक्तियों के प्रति किया जावेगा तथापि यदि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों ने संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु घयन प्रक्रिया के दौरान आयु एवं फीस की रियायतों के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ उठाया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों का चयन सामान्य वर्ग की रिक्तियों के प्रति नहीं किया जाकर अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति किया जायेगा। उक्त निर्देश मा० राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एकल पीठ रिट याचिका संख्या 15152/2011 मदन लाल बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.4.12 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर अपील में होने वाले अन्तिम निर्णय अथवा उक्त अपील में स्थगन आदेश प्राप्त होने तक, के अध्येधीन रहेंगे।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापित जारी करते समय उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(सुदर्शन सेठी) 12.9.2012
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति० मुख्य सचिव
3. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राज० सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर
5. रक्षित पत्रावली।

(सुदर्शन सेठी)
शासन उप सचिव

47/2012